

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37( )परावि/प्रशा2/मंत्रा/स्था-द्वितीय./2018/3486

जयपुर दिनांक 30.7.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद जयपुर ।


विषय:-श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक ग्राप पुरुषोत्तमपुरा पंचायत समिति पावटा  
का स्थानान्तरण करने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुरा पंचायत समिति पावटा का स्थानान्तरण तत्काल पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर में कराया जाना सुनिश्चित करें । उक्त आदेश से पूर्व रिकार्ड से मिलान करना भी सुनिश्चित करें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है


नोट:-

1. यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम से किया जावे।
2. यदि कार्मिक मा.न्यायालय/वादकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे।
4. कार्मिक का परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है यह सुनिश्चित किया जावे।

  
(राजेन्द्र शंखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक मा.मंत्री महोदय ग्राविपराज जयपुर ।
2. निजी सचिव शासन सचिव पंचायती राज विभाग जयपुर ।
3. एसीपी मुख्यालय अपलोड करने बाबत ।

  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव